

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1124 का नवीकरण/ Renewal of Type Approval No.1124

विषय/Sub: आर एफ कोएक्सियल 4 कोर इलेक्ट्रिकल केबल (एडीएफ केबल)/ RF COAXIAL 4 CORE ELECTRICAL CABLE (ADF CABLE)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स फ्लु-टेफ इंडस्ट्रीज़, 89/7 जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, टोरेंट लबोरटरी के पास, वात्वा, अहमदाबाद – 382 445 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "आर एफ कोएक्सियल 4 कोर इलेक्ट्रिकल केबल (एडीएफ केबल)" पार्ट सं. एफएक्सओएक्स 1000-4एस, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए- 1124, दिनांक 04 अप्रैल 2005 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1124 जारी किया गया था और तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1124- 1आर, दिनांक 25 मार्च 2010 द्वारा 31 दिसंबर 2015 तक नवीकरण किया गया था।

This is to state that the "RF Coaxial 4 Core Electrical Cable (ADF Cable)" bearing the Part No. FXOX 1000-4S, developed and manufactured by M/s FLU – TEF Industries, 89/7, GIDC Industrial Estate, Near Torrent Laboratory, Vatva, Ahmedabad – 382 445 has been issued with TA No. 1124 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1124, dated: 04th Apr 2005 and was subsequently renewed up to 31st Dec 2014 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1124/1R, dated: 25th Mar 2010.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मई 2015 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा यह 30 जून 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगत, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सिम्मिलित करते हुए, उत्पादित मात्रा एवं अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सिम्मिलित सभी संलग्न दस्तावेज़ों के साथ आर सी एम ए (वायुयान), सेमिलैक, मारत्तहल्ली पी.ओ, बेंगलूरु - 560037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र की अन्य सभी शर्ते वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f: 01st May 2015 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2020, unless otherwise suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli P.O., Bengaluru-560 037, three months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejection, if any and its cause. All other conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered.

सं./No.:सेमिलैक/CEMILAC/5070/टीए/TA- 1124 - 2R

दिनांक/Date : 29 th May 2015

फैक्स सं./Fax No: 080-5230856

(गंतायत गौड़ वै. 'जी'/G. Gouda, Sc. 'G')

स्थानामन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Offg.Chief Executive (Airworthiness)